अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 11(01)मंमं/2014 जयपुर, दिनांकः 3/1/2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त शासन सचिव।

परिपत्र

मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक प0 27(2)मंमं/1999 दिनांक 5.3.1999 के द्वारा जारी कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदया को प्रस्तुत किये जाने होते हैं।

यह देखा गया है कि कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के बिन्दु संख्याः–

(ii) ऐसे मामले, जिनमें नीतिगत प्रश्न उद्‌भूत हों और प्रशासनिक महत्व के ऐसे समस्त मामले जो पहले से दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते हों।

(xii) ऐसे मामले, जिनमें नीतिगत प्रश्न उद्‌भूत हों तथा

(xxix) विधानसभा के समक्ष किसी विधेयक में उसके सभी स्तरों पर सरकारी नीति का या किसी महत्वपूर्ण विकास का अवधारण।

से संबंधित कतिपय प्रकरणों में आदेश जारी किये जाने से पूर्व, प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते है।

अतः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी प्रकरण अन्तिम निर्णय से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अनुमोदन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायें।

साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निजी संस्थान/संगठन/गैर सरकारी संगठन/ कम्पनी/फर्म आदि से कोई भी अनुबंध (MOU) नहीं किये जायें।

ह0/–
(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक सीएम – एससीएम/पीएस/पॉलिसी डिसीसन/2016/5176 दिनांक 08.12.2016 के क्रम में ।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव